दिनांक 08.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 13/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चतुर्थ तटवर्ती सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) के पदाधिकारियो के साथ बैठक सम्पन्न

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 08.01.2025 को चतुर्थ तटवर्ती सुरक्षा समन्वय समिति (4th Onshore Security Coordination Commmittee) के पदाधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में बैठक की गयी। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 Onshore Security Coordination Commmittee, उ0प्र0 के चेयरमैन हैं। उक्त बैठक में सुश्री रश्मि गोविल, आई0ओ0सी0एल0 की निदेशक(एच0आर0) और ओएससीसी की संयोजक सहित अपर पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन, आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, अपर निदेशक आई0बी0, जिलाधिकारी मथुरा एवं प्रेट्रोलियम/गैस मंत्रालय के संबंधित अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभग किया गया। साथ ही जोन व जनपदों के अधिकारीगणों द्वारा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तटवर्ती सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) का गठन वर्ष 2017 में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श करने और उन्हें हल करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।

- बैठक के दौरान आईओसीएल, कारपोरेट सिक्योरिटी तथा तेल कंपनियों के साथ तेल एवं गैस पाइप लाइन की सुरक्षा, पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित संस्थानों की सुरक्षा, तेल माफियाओं पर प्रभावी अंकुश एवं संगठित अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही पर गहन चर्चा हुई।
- संस्थानों की सुरक्षा हेतु नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित कराये जाने तथा एण्टी ड्रोन सिस्टम का प्रयोग किये जाने पर बल दिया गया।
- आई0ओ0सी0एल0 की निदेशक(एच0आर0) द्वारा प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग की सराहना की गयी। साथ ही कहा गया कि पाइप लाइन से चोरी की घटनाएं लगभग बंद हो गयी है।
- इस अवसर पर इण्डियन ऑयल के अधिकारियों द्वारा एक प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा बैठक के दौरान अपने सम्बोधन में कहा गया कि:–

- वर्ष 2017 से अपराध एवं अपराधियों के प्रति प्रदेश में जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाई जा रही है जिससे लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी होने के कारण प्रदेश में बाहर की कम्पनियों द्वारा इन्वेस्टमेण्ट किया जा रहा है।
- ऑयल एवं गैस इण्डस्ट्रीज देश एवं प्रदेश की बैक बोन (रीढ़) है। ऑयल इण्डस्ट्री को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए प्रदेश पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं सहयोग दिया जा रहा है।
- पाइप लाइन की सुरक्षा के लिए पेट्रोलियम अधिकारियों एवं जनपदीय पुलिस अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जाये।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई गयी है।
- तेल और गैस प्रतिष्ठानों, पाइपलाइनों और संयंत्रों से संबंधित अपराधों में प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गयी है एवं भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 08.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 14/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अयोध्या/थाना रूदौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 04 लाख 30 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन, 01 बैग**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 07.01.2025 को थाना रूदौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टिकैतनगर मार्ग पर भेलसर के पास से 02 अभियुक्तों 1–असद 2–अक्षय को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 04 लाख 30 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 बैग, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना रूदौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रूदौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रूदौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–असद निवासी ग्राम सेमरावा थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी।

2–अक्षय निवासी अकबरपुर थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

1–लूट के 04 लाख 30 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन, 01 बैग।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार 100 रूपये नगद**
- **03 चेक बुक, 04 एटीएम कार्ड**
- **02 मोटर साइकिल (बिना नम्बर की)**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 07/08.01.2025 की रात्रि थाना सिकन्द्राबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम शेरपुर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–निशान्त उर्फ निक्की 2–शुभम उर्फ बाबा घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर अभियुक्त 3–रवि 4–धर्मवीर 5–अनुज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार 100 रूपये नगद, 03 चेक बुक, 04 एटीएम कार्ड, 02 मोटर साइकिल (बिना नम्बर की), 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निशान्त उर्फ निक्की निवासी ग्राम खेडी भनौता थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

2–शुभम उर्फ बाबा निवासी ग्राम आदमपुर थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

3–रवि निवासी ग्राम ऐंची कलां थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

4–धर्मवीर निवासी कायस्तवाड़ा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

5–अनुज निवासी तकीपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 50 हजार 100 रूपये नगद।

2–03 चेक बुक, 04 एटीएम कार्ड।

3–02 मोटर साइकिल (बिना नम्बर की)।

4–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद जौनपुर/थाना केराकत</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 34 हजार 420 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटरसाइकिल**
- **01 अवध अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 08.01.2025 को थाना केराकत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेनापुर पनिहर पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1–विकास 2–विशाल पुत्र सिधारी 3–विशाल पुत्र ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 34 हजार 420 रूपये नगद चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 01 अवध अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना केराकत क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना केराकत पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना केराकत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी सिझवारा थाना केराकत जनपद जौनपुर।

2–विशाल पुत्र सिधारी निवासी ब्राहमणपुर झमका थाना केराकत जनपद जौनपुर।

3–विशाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी दिल्ली का पुरा थाना केराकत जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–लूट के 34 हजार 420 रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटरसाइकिल।

3–01 अवध अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद इटावा/थाना चौबिया

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट गये 02 मोबाइल फोन**
- **लूट के 2100/–रूपये नगद**
- **03 अन्य मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 07/08.01.2025 को थाना चौबिया, थाना ऊसराहार, थाना बसरेहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कलेपुरा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शिवाकान्त उर्फ शिवा 2–सचिन उर्फ छूट्टी 3–सनोज घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 4–अजय सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट गये 02 मोबाइल फोन, लूट के 2100/–रूपये नगद, 03 अन्य मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना चौबिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चौबिया पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल, रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चौबिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवाकान्त उर्फ शिवा निवासी अण्डनी थाना करहल जनपद मैनपुरी हालपता—मो0 ओमनगर कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी।

2—सचिन उर्फ छूट्टी निवासी बखर अड्डा थाना चौबिया जनपद इटावा।

3—सनोज निवासी नगला अनूप थाना करहल जनपद मैनपुरी।

4—अजय निवासी महोटी थाना करहल जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—लूट गये 02 मोबाइल फोन।

2—लूट के 2100/—रूपये नगद।

3—03 अन्य मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार।

5—04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना भोगॉव

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 08.01.2025 को थाना भोगॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परतापुल के बराबर में बनी सर्विस रोड पर बने यात्री प्रतिक्षालय से अभियुक्त देव उर्फ अवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से छिनैती/चोरी के सोने के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना भोगॉव व बेवर क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोगॉव व बेवर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त बरामद आभूषण छिनैती/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भोगॉव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देव उर्फ अवि निवासी ग्राम माधौनगर थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1–छिनैती/चोरी के सोने के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कविनगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 21 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 08.01.2025 को थाना कविनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–विजय 2–पिन्टू 3–सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 21 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विजय के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व जनपद अलीगढ़, हापुड़ व दिल्ली के विभिन्न थानो में 11 अभियोग, अभियुक्त पिन्टू के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, जनपद अलीगढ़ व दिल्ली के विभिन्न थानो में 11 अभियोग एवं अभियुक्त सोनू के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय निवासी ग्राम नौगांवा थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़।

2–पिन्टू निवासी राणा मऊ थाना अमापुर जनपद कासगंज।

3–सोनू निवासी ग्राम बिजोली नगला थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–चोरी की 21 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 इन्वर्टर, 08 इन्वर्टर की बैटरी**
- **चोरी के 10 एलपीजी गैस सिलेण्डर, 01 बैल्डिंग मशीन**
- **अन्य चोरी के सामान**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 08.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मिर्जापुर के पास से 02 अभियुक्तों 1–कासिम 2–रिजवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 इन्वर्टर, 08 इन्वर्टर की बैटरी, चोरी के 10 एलपीजी गैस सिलेण्डर, 01 बैल्डिंग मशीन, अन्य चोरी के सामान, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद इन्वर्टर व इन्वर्टर की बैटरी आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त कासिम के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद

बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 21 अभियोग व अभियुक्त रिजवान के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कासिम निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

2–रिजवान निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी के 07 इन्वर्टर, 08 इन्वर्टर की बैटरी।

2–चोरी के 10 एलपीजी गैस सिलेण्डर, 01 बैल्डिंग मशीन।

3–अन्य चोरी के सामान।

4–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

- **जनपद सहारनपुर/थाना मण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना मण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जीशान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————